



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 958/2009 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सन्जू चौरसिया पुत्र राजाराम चौरसिया नि0 पुलिस लाइन के पीछे पहाडिया थाना सिविल लाइन जिला छतरपुर(म0प्र0)को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0
डी0वी0साहिनी



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव